

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

श्रीमती माया देवी पत्नी श्री रसाल चंद, निवासी चम्बे डा बेहडू, डा0 भुलाना व पुत्री प्रकाश राम, निवासी महाल व डा0 दरुग व हाल उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

प्रार्थिया श्रीमती माया देवी पत्नी श्री रसाल चंद, निवासी चम्बे डा बेहडू, डा0 भुलाना व पुत्री प्रकाश राम, निवासी महाल व डा0 दरुग व हाल उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अपनी जन्म तिथि जोकि दिनांक 12-07-1964 को गांव व डा0 दरुग, ग्राम पंचायत दरुग में हुआ है, स्थानीय पंचायत में पंजीकृत करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र मय हल्फी बयान, अति0 जिला पंजीकार (जन्म और मृत्यु) द्वारा अपर्याप्ता पत्र और मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) शिमला का अनुशंसा पत्र सहित पेश किया। प्रार्थिया के अनुसार अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि सम्बंधित पंचायत के अभिलेख में दर्ज न हो सकी है। अब प्रार्थिया न्यायालय के आदेशों से उपरोक्त पंचायत में अपनी जन्म तिथि को पंजीकृत करवाना चाहती है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार/मुश्ट्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 09-12-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिलेगौर न होगा।

आज दिनांक 08-11-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

श्रीमती मीरा देवी पुत्री श्री सुखिया राम, निवासी महाल समलेतर, डा0 कोठी, मौजा संसाई, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

प्रार्थिया श्रीमती मीरा देवी पुत्री श्री सुखिया राम, निवासी महाल समलेतर, डा0 कोठी, मौजा संसाई, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अपनी जन्म तिथि जोकि दिनांक 07-11-1964 को गांव

समलेतर व डा0 कोठी, ग्राम पंचायत कोठी में हुआ है, स्थानीय पंचायत में पंजीकृत करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र मय हल्फी बयान, अति० जिला पंजीकार (जन्म और मृत्यु) द्वारा अपर्याप्ता पत्र और मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) शिमला का अनुशंसा पत्र सहित पेश किया। प्रार्थिया के अनुसार अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि सम्बंधित पंचायत के अभिलेख में दर्ज न हो सकी है। अब प्रार्थिया न्यायालय के आदेशों से उपरोक्त पंचायत में अपनी जन्म तिथि को पंजीकृत करवाना चाहती है।

अतः आम जनता को इस इशतहार/मुश्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 09-12-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिलेगौर न होगा।

आज दिनांक 08-11-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, फतेहपुर
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)**

कृष्ण कुमार पुत्र श्री ईश्वर दास, निवासी महाल समकड मौजा धमेटा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

प्रार्थना-पत्र बराये अन्तर्गत जेर धारा 13 (3) हि० प्र० पंजीकरण अधिनियम, 1969 बाबत जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत धमेटा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

विषय.— इशतहार गजट राजपत्र हि० प्र० बनाम आम जनता।

प्रार्थी श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री ईश्वर दास, निवासी महाल समकड मौजा, धमेटा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके भाई श्री महिन्द्र पाल की मृत्यु दिनांक 31-05-1982 को हुई थी, जिसका पंजीकरण अज्ञानतावश ग्राम पंचायत धमेटा में न हो पाया है व उसकी मृत्यु तिथि के बिलम्बित पंजीकरण के आदेश पारित किए जाएं। प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत धमेटा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला व शपथ पत्र प्रार्थी व अन्य वाशिंदगान देह साथ संलग्न है।

अतः इस इशतहार अखबार के द्वारा हर आम व खास को से सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री ईश्वर दास, निवासी महाल समकड, मौजा धमेटा के आवेदन बराये दिए जाने आदेश बिलम्बित मृत्यु पंजीकरण उसके भाई श्री महिन्द्र पाल सूचित किया जाता है यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थी के आवेदन बारे कोई आपत्ति हो तो वह एक माह के भीतर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। कोई आपत्ति दर्ज न होने की सूरत में नियमानुसार मृत्यु पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर सहित मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

समक्ष तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं० : 19 / 2025

तारीख मजरूआ : 24-11-2025

तारीख पेशी : 23-12-2025

श्री अजीत कुमार पुत्र श्री तितर पुत्र सुन्दर, निवासी महाल मलाणा, मौजा खावा, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

दरखास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

श्री अजीत कुमार पुत्र श्री तितर पुत्र सुन्दर, निवासी महाल मलाणा, मौजा खावा, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत में दिनांक 24-11-2025 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम अजीत कुमार है, परन्तु प्रार्थी के पुत्र सुनील कुमार के सभी दस्तावेजों पर प्रार्थी का नाम जीत कुमार दर्ज हो चुका है। जबकि राजस्व अभिलेख महाल मलाणा में प्रार्थी का नाम अजीत कुमार ही दर्ज है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि अजीत कुमार व जीत कुमार दोनों उसी के नाम हैं और राजस्व अभिलेख महाल मलाणा में उसका नाम अजीत कुमार के स्थान पर अजीत कुमार उप नाम जीत कुमार दर्ज किया जाए। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में आबाहन पत्र तलवाना, नकल जमाबन्दी, स्व घोषणा पत्र, परिवार नकल, शिक्षा प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र व आधार कार्ड साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने हेतु आग्रह किया है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल मलाणा में प्रार्थी का नाम अजीत कुमार के स्थान पर अजीत कुमार उपनाम जीत कुमार पुत्र श्री तितर पुत्र सुन्दर, निवासी महाल मलाणा, मौजा खावा, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के नाम दुरुस्ती करने बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 23-12-2025 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इशतहार आज दिनांक 24-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0
39 / 2023
40 / 2023

तकसीम

तारीख पेशी
17-12-2025

महिन्द्र सिंह

बनाम

देवांश आदि।

प्रार्थना-पत्र तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम बाबत भूमि खाता नं0 01 खतौनी नं0 01 खसरा नम्बरान कित्ता 14 रकबा 0-79-90 है0 व खाता नं0 04, खतौनी नं0 4, खसरा नम्बर 476, कित्ता 1 रकबा 0-48-90 है0 व स्थित महाल बुहली भडवाल, पटवार वृत्त मटौर जमाबन्दी साल 2019-20 तहसील व जिला कांगड़ा।

ईशतहार/मुशत्री मुनादी :

उपरोक्त तकसीम प्रकरण इस अदालत में जेरे समायत है प्रत्यार्थी वीर सिंह पुत्र सालीग्राम, श्रीमती अंजना पत्नी निगम डडवाल, निवासी मतरेहड, तहसील नगरोंटा बगवां, श्रीमती संजना देवी पत्नी देविन्दर सिंह, निवासी सलोल, नितिज पुत्र व श्रीमती कुमारी कृतिका पुत्री श्रीमती मंजू विधवा नरेश कुमार पुत्र मुन्शी राम व सौरभ पुत्र व कुमारी स्वाती, कुमारी सविता व श्रीमती कमलेश कुमारी विधवा कृपाल सिंह व मेहर सिंह पुत्र कर्म चन्द, निवासी महाल बुहली भडवाल तहसील व जिला कांगड़ा को इस अदालत द्वारा समन जारी किए गए लेकिन उक्त प्रतिवादी हाजिर अदालत न आ रहे हैं। जिससे इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है की उपरोक्त प्रतिवादी की इतलाह साधारण तरीके से न हो सकती है अतः इस इशतहार/मुशत्री मुनादी द्वारा तामील करवाई जाती है।

अतः उपरोक्त फरीकैन को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन दिनांक 17-12-2025 को बाद दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज इस तकसीम बारे पेश कर सकते हैं। हाजिर न होने की सूरत में नियमानुसार प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 20-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0
41 / 2023

तकसीम

तारीख पेशी
17-12-2025

महिन्द्र सिंह

बनाम

सौरभ आदि।

प्रार्थना-पत्र तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम बाबत भूमि खाता नं0 03, खतौनी नं0 03 खसरा नम्बरान 202, 213, 488, कित्ता 3, रकबा 0-34-78 है0 स्थित महाल बुहली भडवाल, जमाबन्दी साल 2019-20 पटवार वृत्त मटौर, तहसील व जिला कांगड़ा।

इशतहार/मुशत्री मुनादी :

उपरोक्त तकसीम प्रकरण इस अदालत में जेरे समायत है प्रत्यार्थी सौरभ पुत्र व कुमारी स्वाती, कुमारी सविता व श्रीमती कमलेश कुमारी विधवा कृपाल सिंह व मेहर सिंह पुत्र कर्म चन्द, निवासी महाल बुहली भड़वाल, तहसील व जिला कांगड़ा व वीर सिंह पुत्र सालीग्राम, श्रीमती अंजना पत्नी निगम डडवाल, निवासी मतरेहड, तहसील नगरोटा बगवां, श्रीमती संजना देवी पत्नी देविन्दर सिंह, निवासी सलोल, महिन्दर पुत्र अमरनाथ पुत्र राम दास, निवासी महाल बुहली भड़वाल, तहसील व जिला कांगड़ा को इस अदालत द्वारा समन जारी किए गए लेकिन उक्त प्रतिवादी हाजिर अदालत न आ रहे हैं। जिससे इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है की उपरोक्त प्रतिवादी की इतलाह साधारण तरीके से न हो सकती है अतः इस इशतहार/मुशत्री मुनादी द्वारा तामील करवाई जाती है।

अतः उपरोक्त फरीकैन को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन दिनांक 17-12-2025 को बाद दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज इस तकसीम बारे पेश कर सकते हैं। हाजिर न होने की सूरत में नियमानुसार प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 20-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 814425 / 2025

तारीख पेशी : 19-11-2025

रविन्दर कुमार पुत्र निकु राम, निवासी गांव थलाकन, डाकघर सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी रविन्दर कुमार पुत्र निकु राम, निवासी महाल थलाकन, डाकघर सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त गन्धवाड़ के राजस्व महाल थलाकन, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम अनिल कुमार दर्ज हो गया है जबकि उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड व स्कूल प्रमाण-पत्र में रविन्दर दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। दो अलग-अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम रविन्दर उप-नाम रविन्दर कुमार दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इशतहार व मुशत्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-12-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी का नाम पटवार वृत्त गन्धवाड़ के महाल थलाकन के राजस्व

अभिलेख में रविन्दर कुमार के बजाये रविन्दर उपनाम रविन्दर कुमार दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 814426 / 2025

तारीख पेशी : 18-12-2025

विधा देवी पुत्री श्री खलाली राम, निवासी गांव व डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि का पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थिया विधा देवी पुत्री श्री खलाली राम, निवासी गांव व डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 22-07-1948 को हुआ है परन्तु गलती से ग्राम पंचायत थिल के अभिलेख में उसकी जन्म तिथि दर्ज नहीं हुई है जिसको ग्राम पंचायत थिल के अभिलेख में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इशतहार व मुशत्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-12-2025 को अदालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया विधा देवी पुत्री श्री खलाली राम, निवासी गांव व डाकघर थिल की जन्म तिथि दिनांक 22-07-1948 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत थिल के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 814424 / 2025

तारीख पेशी : 18-12-2025

जसवंत सिंह पुत्र श्री अमीर चन्द, निवासी गांव शिवपुर, डाकघर घरना, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि का पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी जसवंत सिंह पुत्र श्री अमीर चन्द, निवासी गांव शिवपुर, डाकघर घरना, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 06-06-1974 को हुआ है परन्तु गलती से ग्राम पंचायत पिहडी के अभिलेख में उसकी जन्म तिथि दर्ज नहीं हुई है जिसको ग्राम पंचायत पिहडी के अभिलेख में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुशत्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-12-2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी जसवंत सिंह पुत्र श्री अमीर चन्द, निवासी गांव शिवपुर, डाकघर घरना की जन्म तिथि दिनांक 06-06-1974 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत पिहडी के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत दीपक शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एव तहसीलदार फतेहपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

सपना देवी पुत्री रतन सिंह, निवासी गांव भाटी मिन्हासा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
... प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

... फरीकदोयम।

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भाटिया में जन्म पंजीकरण करने बारे।

सपना देवी पुत्री रतन सिंह, निवासी गांव भाटी मिन्हासा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में एक प्रार्थना-पत्र बाबत ग्राम पंचायत भाटिया के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की जेरे धारा 13(3) के तहत अपनी जन्म तिथि दर्ज करने बारे गुजारा है। प्रार्थिया ने निवेदन किया है कि उसका जन्म 10-05-1979 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत भाटिया के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में जन्म तिथि

नियमानुसार समय पर पंजीकृत नहीं करवाई गई है। इसलिए अब ग्राम पंचायत भाटिया को जन्म पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया उक्त के नाम व जन्म तिथि पंजीकरण करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2025 को प्रातः 10.00 बजे असातन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थिया का जन्म पंजीकृत करने बारा आदेश पारित कर दिए जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 30-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार) जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 44 / तह0 / 2024

तारीख पेशी : 23-12-2025

अजित सिंह आदि बनाम वक्शी राम व अन्य।

विषय.—तकसीम भूमि खाता नम्बर 493, खतौनी नम्बर 871, खसरा कित्ता 4689, रकबा तादादी 0-29-00 हैक्टेयर, वाकया महाल हारसी, मौजा व तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

मुशत्री/मुनादी बनाम :—01. वक्शी राम पुत्र शोभा राम उपनाम शोभा, 02. मृतक सिमरो देवी पुत्री शोभा राम उपनाम शोभा के वारसान :— a. ओम प्रकाश पुत्र सिमरो देवी, निवासी गांव व डा0 जगल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0 । b. चेचलों देवी पुत्री सिमरो देवी पत्नी दूलो राम हाल निवासी गांव, डा0 व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 । c. श्रीमती सुमना देवी पुत्री सिमरो देवी पत्नी सन्सारी लाल हाल निवासी गांव, डा0 व तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0 । d. स्वाती पुत्री वलदेव कुमार पुत्र सिमरो देवी । e. श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी स्व0 श्री वलदेव कुमार पुत्र सिमरो देवी, निवासी गांव व डा0 जगल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0 ।

उपरोक्त मुकद्दमा में प्रतिवादीगण को कई समन जारी किये जा चुके हैं। परन्तु इनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त प्रतिवादी इस तकसीम के सम्बन्ध में रुचि नहीं ले रहा है।

अतः इस मुशत्री/मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी प्रतिवादी को इस सम्बन्ध में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-12-2025 को दोपहर 02.00 बजे इस अदालत में असातन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 24-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा — मकफूद उल खबरी

तारीख पेशी : 05-01-2026

प्रकाशां देवी बनाम आम जनता आदि

विषय.—बाबत इन्तकाल मकफूद उल खबरी विनय कुमार पुत्र कल्याण चन्द, निवासी महाल जगरूपनगर मौजा, एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 तस्दीक करने बारे।

मुश्त्री मुनादी बनाम आम जनता :

बाबत इन्तकाल मकफूद उल खबरी यह है कि मेरा पति विनय कुमार पुत्र कल्याण चन्द, निवासी महाल जगरूपनगर, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, पटवार वृत्त सकोह, जिला कांगड़ा। खाता नं0 41, खतौनी नं0 47, खसरा कित्ता 2, रकबा तादादी 00-14-97, है0 Mic खाता नं0 43 खतौनी नं0 49 ता 50 खसरा कित्ता 3 रकबा तादादी 00-18-00 है0, खाता नं0 44, खतौनी नं0 51 खसरा कित्ता 3 रकबा तादादी 00-03-06 है0, खाता नं0 45, खतौनी नं0 52, खसरा कित्ता 2 रकबा तादादी 00-03-61 है0, खाता नं0 225, खतौनी नं0 287, ता 289, खसरा कित्ता 4 रकबा तादादी 00-08-25 है0 वाकया महाल देहरू जमाबंदी साल 2021 2022 खाता नं0 98, खतौनी नं0 126, ता 127, खसरा कित्ता 8 रकबा तादादी 00-70-21 है0, वाकया महाल आलमपुर, जमाबंदी साल 2022 2023 खाता नं0 110, खतौनी नं0 157, खसरा नं0 1363, रकबा तादादी 00-02-38 है0, खाता नं0 111, खतौनी नं0 158, ता 159, खसरा कित्ता 6 रकबा तादादी 00-22-53 है0, खाता नं0 112, खतौनी नं0 160, ता 162, खसरा कित्ता 27, रकबा तादादी 00-86-47 है0, खाता नं0 113, खतौनी नं0 163, खसरा कित्ता 9 रकबा तादादी 00-30-86 है0, खाता नं0 114, खतौनी नं0 161, खसरा कित्ता 2 रकबा तादादी 00-06-49 है0, खाता नं0 115, खतौनी नं0 165, खसरा नं0 1355, रकबा तादादी 00-15-83 है0, खाता नं0 117, खतौनी नं0 167, खसरा कित्ता 4, रकबा तादादी 00-12-34 है0, खाता नं0 118, खतौनी नं0 163, खसरा कित्ता 3 रकबा तादादी 00-01-07 है0, खाता नं0 119, खतौनी नं0 169, ता 176, बसय कित्ता 49 रकबा तादादी 02-29-57 है0, खाता नं0 120, खतौनी नं0 177, खसरा नं0 1155, रकबा तादादी 00-13-29 है0, खाता नं0 121, खतौनी नं0 178, ता 179, खसरा कित्ता 4, रकबा तादादी 00-03-79 है0, खाता नं0 122, खतौनी नं0 180, ता 184, खसरा कित्ता 9, रकबा तादादी 00-21-79 है0, खाता नं0 123, खतौनी नं0 185, ता 189, खसरा कित्ता 6 रकबा तादादी 01-24-24 है0, वाकया महाल जगरूपनगर जमाबंदी साल 2020 2021।

उपरोक्त मुकद्दमा इंतकाल मकफूद-उल-खबरी प्रार्थिया के पति विनय कुमार पुत्र कल्याण चन्द, निवासी महाल जगरूपनगर, मौजा एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 24 साल पूर्व गुजरात से लापता हो गया है और आज तक उसका कोई अता-पता न चल सका है। इस बारे में स्थानीय पुलिस स्टेशन लम्बागांव में एफ आई आर का नं0 23/18 (1) 50/5A, दिनांक 09-01-2001 को प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है प्रार्थिया ने प्रार्थना की है कि मेरे पति को लापता घोषित किया जाए महाल हजा में समस्त भूमि का इंतकाल मकफूद-उल-खबरी उसके नाम दर्ज व तस्दीक किया जावे।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से विनय कुमार पुत्र कल्याण चन्द पुत्र हमीरा, निवासी जगरूपनगर, उप-तहसील आलमपुर को व आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें इस दरखास्त बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 05-01-2026 को इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी व मकफूद-उल-खबरी का इंतकाल तस्दीक करने बारे आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**In the Court of Sh. Kartar Chand, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate
Shahpur, Distt. Kangra (H.P.)**

1. Shri Sunil Sandal s/o Sh. Harman Singh, V.P.O. Chari, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).
 2. Smt. Nisha d/o Sh. Prem Nath, r/o C-204, Gandhi Vihar, Distt. North West Delhi.
- . . Applicants.

Versus

1. General Public.
 2. Local Registrar, Gram Panchyat Charri.
- . . Respondents.

Subject.—Application for the Marriage Registration u/s 16 of special Marriage Act, 1954.

Applicants Shri Sunil Sandal s/o Sh. Harman Singh, V.P.O. Chari, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.) and Smt. Nisha d/o Sh. Prem Nath, r/o C-204, Gandhi Vihar, Distt. North West Delhi has filled an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith declaration in which they have stated that they have solemnized their marriage on 06-11-2025 at Delhi as per Hindu rites & customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file an objection personally or in writing before this court on or before 20-12-2025. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Seal.

Sd/-
(KARTAR CHAND),
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Exercising the Power of Marriage Officer
Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.)**

In the matter of :

1. Rohit Rana aged 23 years s/o Sh. Raghubir Singh, r/o Village Ghandwar, Post Office Surani, Tehsil Khundian, Distt. Kangra, H.P.
 2. Sakshi Kumari aged 23 years d/o Sh. Uttam Chand, r/o Village Malaharu, Post Office Lanj, Sub-Tehsil Har Chakian, Distt. Kangra, H.P.
- . . Applicants.

Versus

- General Public . . Respondent.

Subject.—Notice for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

The above applicants have filed an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on 29-10-2025 at Shree Mahakali Kamakhya Devi Bharmat Palampur Distt. Kangra, H.P. and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who have objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this office on or before 02-01-2026 at 11.00 A.M. The objection(s) after 02-01-2026 at 11.00 A.M. will not entertain by this office and then the marriage will be registered accordingly as per the law prescribed.

Issued on this 25th day of November, 2025 under my hand and seal of this office.

Seal.

Sd/-
*Sub-Divisional Magistrate-cum- Marriage Officer,
Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.).*
